

# दैनिक भास्कर

राजस्थान

जयपुर गुरुवार, 26 मई, 2016

proforma contained in the 3rd amendment, IEC regulation 2016 shall be applicable to all teaching & library posts.  
Other instructions of the sale advertisement shall remain unchanged.  
For more details visit: [www.cup.edu.in](http://www.cup.edu.in) [www.cup.ac.in](http://www.cup.ac.in)

## राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग

डॉ. सधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर, भद्रास बोर्ड भवन, जेएलएन मार्ग, जयपुर  
फोन: 0141/231237, 231238/231239 टैलफ़ैक्स: 0141/231237/231238 टिक्कत: 20.5.16

### दिव्यद्वि

### अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क छात्रावास योजना

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षों में अल्पसंख्यक छात्रों 23 अक्टूबर से 9 से 12वीं में अध्यापन अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सत्र 2016-17 की अवधि में छात्रावास सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिए। जिलों एवं 23 अल्पसंख्यक माहौल वर्गों की सूची अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट [www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in](http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। स्वयंसेवी/विद्यार्थी संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संस्थागत करने की आवश्यक अर्हताएं आवेदन-प्रपत्र में उल्लिखित हैं।

प्रत्येक संस्थाएं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कर्माचार्य अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से नि:शुल्क निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर प्रस्ताव पत्र सह संबंधित दस्तावेज सहित संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आवेदन-प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

चयनित स्वयंसेवी/विद्यार्थी संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए प्रारम्भ में 01 सत्र की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाएगी और उनका कार्य संतोषजनक होने तक संस्थाओं की सहमति के आधार पर अस्थाई सत्र (2017-18) की अवधि के लिए अस्थाई स्वीकृति में 03 सत्रों तक बढ़ाई की जाएगी। इतने परन्तु यदि चयनित स्वयंसेवी/विद्यार्थी संस्थाओं के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन का कार्य जिला कार्यालय से प्राप्त फेलसुअल अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर संतोषजनक रहा तो उनका विभाग द्वारा दी गई अवधि के लिए (संस्थाओं की सहमति भी आवश्यक है) स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। यदि चयनित संस्थाएं अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन का कार्य संतोषजनक नहीं करती है तो उनकी स्वीकृति 15 दिन अथवा एक महीने के नोटिस अवधि देकर स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।

आवेदन जमा कराने की व्यक्तिगत एवं डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि: 20.06.2016

ईआईपी/32/टी/5003/2016

सुप्रभात सिंह, निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान प्रविश्ट दर के आधार पर निम्नलिखित की जाती है।  
1). नि.आ.सू. सं. 08/EE/J.C.D-IACPWD/2016-2017, कार्य का नाम: Pair & Renovation of Toilets (06 Nos.) GF, FF & SF at Income Tax Office, NCRB, Jaipur. अनुमानित लागत ₹. 20,15,602/-, पर एंशि ₹. 40,312/- समय अवधि 03 (तीन) माह, Last date and time submission of Bid, Original EMD, copy of receipt for deposition original EMD and other document 03.06.2016 upto 3:00 PM a Last date and time of opening of tender 03.06.2016 upto 3.30 PM 2). नि.आ.सू. सं. 09/EE/J.C.D-IACPWD/2016-2017, कार्य का नाम: Additional Toilet in quarter of Hostel of Agnivesh, Certain coil fencing on boundary wall, Repair & renovation Agnivesh Hostel Mess, Paver block at Girls Hostel, false ceiling in Room no. 320, 220 & 227 at NIA, Jaipur. अनुमानित लागत ₹. 14,40,374/-, शरीर एंशि ₹. 28,807/- समय अवधि 04 (चार) माह, Last date and time of submission of Bid, Original EMD, copy of receipt for deposition of original EMD and other document 03.06.2016 upto 3:00 PM and Last date and time of opening tender 03.06.2016 upto 3.30 PM.

निविदा पत्रों के अन्य विवरण वेबसाइट [www.tenderwizard.com/CPWD](http://www.tenderwizard.com/CPWD) [www.cpwd.gov.in](http://www.cpwd.gov.in) or from [eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

**कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त अल्प सा.मि.वि. परिसर, अस्का टॉकीज के पास, कचहरी रोड, अलवर**  
फोन: 0144-2757028, फैक्स: 0144-2736679  
E-mail: [secwdalwar@rediffmail.com](mailto:secwdalwar@rediffmail.com)  
निविदा सूचना संख्या 06/2016-17

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन/सड़क कार्यों हेतु उपरोक्त जिलों संबंधित निर्माण विभाग राजस्थान में लीकृत संवेदन एवं के शीघ्र/राज्य सरकार एवं उपर्युक्त जिलों/केन्द्रों/समाज सेवा निर्माण/समाज एवं दूरसंचार विभाग/संतोषजनक स्वीकृत संवेदनों, जोकि राजस्थान सरकार के एक एक जिलों के संवेदनो के समन्वय से, निविदा प्रपत्र में ई-प्रणाली प्रणाली हेतु अल्पसंख्यक निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा की कुल लागत	समय
निविदा नाम निम्न की तरह	25.05.16 से 20.06.16 रात 6.00 बजे तक
निविदा जमा करने की तारीख	20.6.16 रात 6.00 बजे तक
शरीर एंशि जमा कराने की तारीख	22.6.16 दोपहर 1.00 बजे तक अर्थात् अंतिम सा.मि.वि. सुब 21.6.16 रात 4.00 बजे 1 अंति. मुज्य अधिकारी सा.मि.वि. संज्ञा द्वितीय, का एवं अधीक्षक अभियंता, सा.मि.वि. शायद शरीर
निविदा खोलने की तारीख	22.6.16 को दोपहर 2.00 बजे


निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट [www.diprodalwar.org](http://www.diprodalwar.org) एवं विभाग की वेबसाइट <http://pingsytendersa.gov.in> एवं [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पर देखा जा सकता है।  
ईआईपी/32/टी/4987/2016 (डी.टी. पर्यटन अधिकारी अभियंता, सा.मि.वि. वृत्त अल्प)

My computer/E/brijesh/office

## दैनिक भास्कर

**आवश्यकता**  
**APPOINTMENT**

Call: 0141-2361234, 2361235, 2361236 - फैक्स: 0141-2361234 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
जयपुर: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
अलवर: 2757028, 2736679 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
दिल्ली: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
मुंबई: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
कोलकाता: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
चण्डीगढ़: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
राजकोट: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
वाराणसी: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
भुवनेश्वर: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
बिड़र: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
भुवनेश्वर: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
कोलकाता: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
वाराणसी: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)  
भुवनेश्वर: 2361234, 2361235, 2361236 - वेबसाइट: [www.dailymast.com](http://www.dailymast.com)



**राजस्थान सरकार**  
**अल्पसंख्यक मामलात विभाग**

डॉ. राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड मदन, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर

**अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास योजना के संचालन हेतु  
जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स की सूची।**

जिला	जिला मुख्यालय / ब्लॉक स्तर	छात्रावास का प्रकार	सीटों की संख्या
अजमेर	अजमेर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	100
अलवर	अलवर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	दिजारा	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	किशनगढ़वासा	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	रामगढ़	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
लक्ष्मणगढ़	बालक छात्रावास	50	
	बालिका छात्रावास	50	
बांसवाड़ा		बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
बारा		बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
बाड़मेर	बाड़मेर मुख्यालय	बालक छात्रावास	100
		बालिका छात्रावास	50
	रामसर	बालक छात्रावास	50
भरतपुर	भरतपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	पहाड़ी	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	कामा	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	नगर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
बीकानेर	बीकानेर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
	ख्राजूवाला	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	छत्तारगढ़	बालक छात्रावास	50
बीलवाड़ा	बीलवाड़ा मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
बुन्दी	बुन्दी	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50

वित्तीडगढ़	वित्तीडगढ़ मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
बूछ	बूछ मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
दौसा	दौसा मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
धीलपुर	धीलपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
झुंगरपुर	झुंगरपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	टिन्डी	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	सररिया	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
जयपुर	जयपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
जैसलमेर	जैसलमेर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	धोकरण	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
जालौर	जालौर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
झालावाड़	झालावाड़ मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
झुन्झुनू	झुन्झुनू मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
जोधपुर	जोधपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
करीली	करीली मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
कोटा	कोटा मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
नागौर	नागौर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
पाली	पाली मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
राजसमन्द	राजसमन्द मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	करणपुर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	सदुलशहर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	पदमपुर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	शयसिंह नगर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	अनूपगढ़	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50

		बालिका छात्रावास	50
	धड़साना	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	विजय नगर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
सवाईमधोपुर	सवाईमधोपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
सीकर	सीकर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
	फतेहपुर	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
सिराही	सिराही मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
टोक	टोक मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50
उदयपुर	उदयपुर मुख्यालय	बालक छात्रावास	50
		बालिका छात्रावास	50

सत्र 2016-17 की अवधि से जिला/ब्लॉक्स में छात्रावासों की निर्धारित क्षमता (100/50 सीट्स) के आधार पर (प्रवेश सूची के आधार पर) अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् यदि छात्रावास (सों) विशेष में निर्धारित क्षमता के अनुसार सभी सीट्स नहीं भरी जा सकें तो शेष सीट्स किसी अन्य छात्रावास को हस्तान्तरित की जा सकेंगी बशर्ते यदि उस छात्रावास(सों) में निर्धारित क्षमता के अतिरिक्त प्रवेशार्थियों की मांग संख्या अधिक हो तथा छात्रावास(सों) में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर रखा हो। अर्थात् मांग के आधार पर सीट्स का Reallotment Inter District/ Inter Block/ Inter Hostel हो सकेगा। इस संबंध में समबन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

राजस्थान सरकार  
अल्पसंख्यक मामलात विभाग  
अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास की मान्यता (पंजीकरण) एवं अनुदान प्रस्ताव  
के लिए आवेदन पत्र

1.	स्वैच्छिक अभिकरण संस्था का नाम (पूरा डाक पता व दूरभाष क्रमांक सहित)	
2.	(अ) स्वैच्छिक अभिकरण का पंजीयन क्रमांक	
	(ब) स्वैच्छिक अभिकरण की स्थापना का दिनांक	
3.	क्या संस्था— (अ) सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है? (ब) राजस्थान संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है? (स) अन्य कोई संगठन से पंजीकृत है?	
4.	संस्था का संक्षिप्त विवरण तथा गतिविधियों का गत तीन वर्षों का विवरण।	
5.	प्रस्तावित स्थान जहाँ संस्था अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन करना चाहती है।	
6.	संस्था का कार्यालय क्या स्वयं/किराये के भवन में संचालित है?	
7.	प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु स्वयं/किराये/ राजकीय विद्यालय का भवन होगा? *	
8.	क्या वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु कोई कार्यक्रम, छात्रावास संचालन सहित, चलाया जा रहा है अथवा चलाया गया? पूर्ण विवरण दें।	
9.	अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु जो अनुदानित छात्रावास प्रस्तावित है, उस वर्ग के प्रस्तावित छात्र/छात्राओं की संख्या? (अनुमानित)	
10.	क्या अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन में संस्था को किसी गैर सरकारी स्रोतों या जन प्रतिनिधि से सहायता मिलने की संभावना है?	

11.	क्या अल्पसंख्यक छात्रावास योजना की क्रियान्विति हेतु कुशल कर्मचारी एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो बिन्दुवार पूर्ण विवरण दें।	
12.	<b>संलग्न प्रमाणित प्रपत्रों/दस्तावेजों की सूची:-</b>	
	1. संस्था का प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण-पत्र।	
	2. संस्था का प्रमाणित विधान की प्रति।	
	3. नियंत्रण मण्डल, प्रबन्धक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन दिनांक सहित विवरण (रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित) की प्रमाणित प्रतिलिपी।	
	4. चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित संस्था के गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट की सत्यापित प्रतियां।	
	5. चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित आयकर देय संबंधी तीन वर्षों के आयकर रिटर्न्स मय कम्प्यूटेशन संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां।	
	6. संस्था का गत तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन।	
	7. संस्था के स्वयं/किराये के भवन के सम्पूर्ण दस्तावेज (संस्था का स्वयं का भवन है तो भवन के <u>मालिकाना हक सम्बन्धी समस्त दस्तावेज</u> की प्रमाणित प्रतियां/यदि किराये का भवन है तो भी भवन मालिक के <u>मालिकाना हक सम्बन्धी समस्त दस्तावेज</u> , <u>रेन्ट डीड</u> आदि के दस्तावेज), भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सहित, की प्रमाणित प्रतियां।	
	8. अतिरिक्त पत्रों/सूचनाओं की सूची आदि कोई हो तो उल्लेख करें:- ..... ..... .....	

\* सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में शिक्षा विभाग के रिक्त विद्यालय परिसर, (भवनों) की जिलेवार सूची उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला वक्फ कमेटी के इन्तजामिया की उपलब्ध खाली भवनों तथा शिक्षा विभाग के खाली/अनुपयोगी छात्रावास भवनों की जानकारी भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध है। निजी इच्छुक स्वयं सेवी/शिक्षण संस्थाएँ संबंधित जिला कार्यालयों में सम्पर्क कर उनसे प्रस्तावित जिला/ब्लॉक में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने के लिए रिक्त विद्यालय परिसर, (भवन)/जिला वक्फ कमेटी के इन्तजामिया की उपलब्ध खाली भवन/शिक्षा विभाग के खाली/अनुपयोगी छात्रावास भवनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि उनके द्वारा प्रस्तावित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए संबंधित जिला मुख्यालय/ब्लॉक में उक्त प्रकार के रिक्त परिसर, (भवन) उपलब्ध एवं छात्रावास संचालन हेतु उपयुक्त (Suitable) हुआ तो संबंधित संस्था उस रिक्त परिसर (भवन) को छात्रावास संचालन के लिए आवेदन प्रपत्र के बिन्दु संख्या - 07 में प्रस्तावित कर सकती है।

सचिव  
(स्वयं सेवी संस्था)

कोषाध्यक्ष  
(स्वयं सेवी संस्था)

अध्यक्ष  
(स्वयं सेवी संस्था)

E/Brijehs/other/ngo appli/2